

आर टी आई स्पीड पोस्ट
UNDER SECRETARY



34 राष्ट्रीय सचिवालय
VICE PRESIDENT'S SECRETARIAT
NEW DELHI 110011
TEL: 23016344 23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/64/2013-14

18 फरवरी, 2013

श्री वंश बहादुर,
श्रीयुत मुख्य सचिव के निजी सचिव
एवं सूचना अधिकारी, उ0प्र0 शासन,
लखनऊ

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री टोनी ओझा, पुत्र श्री पुरूषोत्तम केन्द्रीय कारागार सं. 8/9 तिहाड़ दिल्ली-64 का पत्र दिनांक 14 फरवरी 2013 का इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसके साथ इन्होंने रुपये 10/- का पो.आ. संख्या 06एफ 636342 संलग्न कर अपने पूर्व के आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है जो कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रसारित किया गया था। चूंकि पत्र की विषय वस्तु उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से संबंधित है। अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें तथा आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

श्री टोनी ओझा पुत्र श्री पुरूषोत्तम, केन्द्रीय कारागार, सं. 8/9 तिहाड़ दिल्ली-64
कृपया विस्तृत जानकारी हेतु उक्त जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

0/c

2/13

विकास

मा. श्री. महाश्रीम उपाध्यक्ष जी

भारत सरकार (दिल्ली)



विषय - सूचना आधकार अधिनियम - 2005 की धारा उपधारा - 7 (1) के तहत
जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

निवेदन यह है कि मैं लोनी ओझा डा. श्री. प्रमोद लाल ओझा श्रीमान् जी
प्रार्थना केन्द्रिय कारागार नं. 819 तिहाड़ में रह रहा हूँ। श्रीमान् जी प्रार्थना
द्वारा विदित गये, शिकायत पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गई
उसका उत्तर R-T-I - 2005 के तहत देने की कृपा करें। प्रार्थना इस
आवेदन के साथ प्रार्थना भारतीय पोर-एल आईर संख्या - 06F6363
संख्या-101-का संलग्न किया जा रहा है। प्रार्थना इसका उत्तर
शब्द भाषा हिन्दी में देने की कृपा करें। आपकी जगह कृपा होगी।
प्रार्थना आपका लदा अंगारी रहेगा।

सन्ध्या

प्रार्थना
Shri. Prasad

(लोनी ओझा डा. श्री. प्रमोद लाल ओझा
केन्द्रिय कारागार नं. 819 तिहाड़
दिल्ली-64

श्रीमान्,

मा. श्री महाश्रीम उषा इंदिरा देवी जी
भारत सरकार दिल्ली.

विषय = प्राचीन प्राचीन माई जी के पुष्पा पुलिस के उच्च अधिकारी को
द्वारा दिल्ली सरकार ने A.S हरिओम द्वारा दया करने की साजि
श करने के प्राचीन के माई को प्रेषित करने हेतु शिकायत पत्र।

महाश्री,

निवेदन यह है कि मैं अपनी ओसा 80 श्री उषा देवी जी को 8/9
तुम्हारे माई को तबाली खलीलाबाद गोरखपुर 2000 का निवास
है। श्रीमान् जी प्राचीन अपने माई को मनेत के दो व अवसर 8/9
में रह रहे हैं। श्रीमान् जी प्राचीन के प्राचीन के माई को आपकी
राजेश कुष्पा पुलिस के पूर्व डी. आई. जी कुकेश कुष्पा व एस
ओ जी उमरी व एस. ओ राजीव शंजत
से चल रही है। श्रीमान् जी प्राचीन के उपर पहले भी गोरखपुर
-याथालय वेबरी व दिल्ली -याथालय में वेबरी के दौरान प्राचीन
पर लक्ष्यो द्वारा दया करने की साजि श रची गई थी। जो कि
दिल्ली पुलिस व गोरखपुर S.T.F द्वारा यह साजि श नाजाम
की गई थी। श्रीमान् जी अत यह नाजि श दिल्ली तिहास जेल
में तैनात A.S हरिओम के साथ मिलकर दया की साजि श की
जा रही है। श्रीमान् जी दिनांक 25/01/13 को समय-11:45
वजे सुबह A.S हरिओम प्राचीन के वार्ड में आये, और धमकी
देने लगे, कि गोरखपुर के पूर्व डी. आई. जी कुकेश कुष्पा
तथा एस. ओ. जी उमरी व एस. ओ राजीव शंजत की जो
शिकायत तैरे माई ने की है। उसे वापिस ले लो, नहीं तो
इस जेल में या दिल्ली की किसी जेल में मरवा दिये जा
ओगे। श्रीमान् जी जब प्राचीन के माई को मनेत ओसा ने कहे,
कि धमकी मत दिजिए। तब A.S हरिओम कहने लगे, कि
पहले तुम्हारा माई कस्टोडी में लय गया था। उतकी
यहाँ नहीं लय पाउंगे। श्रीमान् जी प्राचीन से कहने लगे,
कि तुम लोगो का जेल बदली कर मरवा दिया जायगा। श्री
मान् जी प्राचीन के माई ने कहे, कि हम आपकी शिकायत
उपरी लक जी से करेंगे।

